बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

पत्र सं0– वि॰प्रा॰ (II) य[1]– 24 / 2010– / पटना, दिनांक

सेवा में,
महालेखाकार (ले0 एवं हक0),बिहार
वीरचन्द पटेल मार्ग,पटना

विषय– विभागान्तर्गत गया अभियंत्रण महाविद्यालय, गया के कर्मशाला, विभिन्न प्रयोगशालाओं तथा लैंग्वेज लैब के लिए आवश्यकता आधारित मशीनें, उपकरण, उपस्कर, कम्प्यूटर, सॉफ्टवेयर के क्रय एवं अधिष्ठापन हेतु कुल रू॰ 2,31,16,000=00 (दो करोड़ इकतीस लाख सोलह हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2016–17 में उक्त राशि संस्थान को विमुक्त करने के संबंध में।

आदेश– स्वीकृत।

राज्य सरकार ने विशेष कार्य पदाधिकारी, गया अभियंत्रण महाविद्यालय, गया के पत्रांक–1443, दिनांक 05.12.2016 एवं पत्रांक–1462, दिनांक 29.12.2016 के द्वारा मांग की गई राशि के आधार पर संस्थान के कर्मशाला, विभिन्न प्रयोगशालाओं तथा लैंग्वेज लैब के लिए आवश्यकता आधारित मशीनें, उपकरण, उपस्कर, कम्प्यूटर, सॉफ्टवेयर के क्रय एवं अधिष्ठापन हेतु कुल रू॰ 2,31,16,000=00 (दो करोड़ इकतीस लाख सोलह हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2016–17 में उक्त राशि संस्थान को विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की है।

2. उक्त स्वीकृत राशि, वित्तीय वर्ष 2016–17 में आयोजना बजट के "मुख्य शीर्ष–4202 –शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष –02–तकनीकी शिक्षा, लघुशीर्ष–105 –इंजीनियरिंग / तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान, मांग संख्या–43, उपशीर्ष–0106–अभियंत्रण महाविद्यालय (निश्चय)" के अधीन 52 01 मशीनें एवं उपस्कर विषयशीर्ष में उपबंधित राशि से विकलित होगा जिसका विपत्र कोड– पी 4202021050106 है।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संस्थान के विशेष कार्य पदाधिकारी होंगे।

4. इस राशि की निकासी राजकीय कोषागार, गया से की जायेगी।

5. उक्त राशि से सामग्रियों के क्रय हेतु बिहार (वित्त) संशोधित नियमावली–2005 का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा तथा सभी प्रक्रियाओं का विधिवत पालन कर क्रय किया जायेगा।

6. उक्त स्वीकृत राशि से नियमानुसार क्रय की जाने वाली मशीनें, उपकरण, उपस्कर एवं सॉफ्टवेयर की गुणवत्ता के लिए संस्थान के विशेष कार्य पदाधिकारी सीधे जिम्मेवार होगें तथा क्रय की गई मशीनें, उपकरण उपस्कर एवं सॉफ्टवेयर की सूची सहित उसके अधिष्ठापन संबंधी प्रतिवेदन वर्त्तमान वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें। किसी भी परिस्थिति में अनावश्यक एवं आवश्यकता से अधिक सामग्री की खरीदारी नहीं की जाएगी।

7. उक्त स्वीकृत राशि की निकासी, वित्तीय वर्ष 2016–17 में विभाग के लिए संसूचित योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अधीन निर्गत आवंटन तक सीमित रहेगा।

8. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या– 96 वि(2), दिनांक 03.01.2008 के आलोक में सक्षम प्राधिकार से अनुमोदनोपरांत आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जाता है।

9. वित्त विभाग के पत्रांक– 7355 वि(2), दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इस योजना के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह॰ / –
(मिर्जा आरिफ रजा)
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या– वि॰प्रा॰ (II) य[1]– 24/ 2010– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/ –
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या– वि॰प्रा॰ (II) य[1]– 24/ 2010– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, राजकीय कोषागार, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/ –
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या– वि॰प्रा॰ (II) य[1]– 24/ 2010– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– विशेष कार्य पदाधिकारी, गया अभियंत्रण महाविद्यालय, गया को उनके पत्रांक–1443, दिनांक 05.12.2016 एवं पत्रांक–1462, दिनांक 29.12.2016 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/ –
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या– वि॰प्रा॰ (II) य[1]– 24/ 2010– 109 /पटना, दिनांक– 13-1-2017

प्रतिलिपिः– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/उप निदेशक (यो)/ बजट सहायक/ आई॰टी॰ मैनेजर (E-mail एवं विभागीय बेवसाइट पर अपलोड हेतु), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13.1.17
सरकार के उप सचिव

13/01/17